

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राजसमन्द विभाग उपखण्ड (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भू.अ.नि. मे हनुदिमा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तहसीलदार की अनुशया के आधार पर राजस्थान भू-यालय अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आजणा तहसील इलमगरा जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 20 न के में खाता संख्या 180 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आजणा	180	सम्पत् पुत्र हीरालाल हिम्प - 1/12 जाति - भील M.A.G.B. धनेरिया	सम्पत् पुत्र हीरालाल हिम्प - 1/12 जानि भील , R.G.B धनेरिया

उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट राजसमन्द उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - 370 त्तिलिपि -

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार को भजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजायावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट राजसमन्द उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर